ध्यक्ष, केन्द्रीय चयन (सिपाही भर्ती) का कार्या

L170

16 SEP 2016 पत्र संख्या–11/आ02–आ0नी0–08/2010 सा0प्र0 10818

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

सं0....................

विप्रेषक, पटना

राजेन्द्र राम,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।

R-1470/C.S.B.C.
18.9.16

पटना–15, दिनांक 08/8/16

विषय :– **Lohara (लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (संख्या–108/1976) द्वारा बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक–22 पर Lohara, Lohra (लोहार, लोहरा) अंकित था, जिसे संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश संशोधन अधिनियम, 2006 (संख्या–48/2006) द्वारा संशोधित करते हुए बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक–21 के रूप में Lohara, Lohra (लोहारा, लोहरा) सूचीबद्ध किया गया है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के निरसन और संशोधन अधिनियम, 2016 (संख्या–23/2016) द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश संशोधन अधिनियम, 2006 (संख्या–48/2006) को निरसित कर दिया गया है। अतः ऊपर वर्णित स्थिति में अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (संख्या–108/1976) के आलोक में Lohara (लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने एवं अन्य सुविधायें दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन,

(राजेन्द्र राम) 8/8/2016

सरकार के अपर सचिव।

Note ... 18.9.16